मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

विषय-सूची

1.परिचय 01

2. उद्देश्य.....02

3. लक्ष्य 03

4. रैंकिंग तंत्र के तहत अनुभाग.....04

(i) सामाजिक ज़िम्मेदारी 05

(ii) आर्थिक मापदंड.....05

(iii) शासन मापदंड 05

5. दृष्टिकोण और रणनीति 06

(i) संस्थागत व्यवस्था 06

(ii) संकेतक और प्रश्नावली डिजाइन करना.....06

(iii) इस कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण.....07

(iv) जागरूकता और प्रशिक्षण 07

(v) डेटा संग्रह प्रक्रिया 07

(vi) वास्तविक टाइम निगरानी.....08

(vii) तृतीय पक्ष सत्यापन 08

6. ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना.....09

7. परिणाम 10

8. ग्राम पंचायत प्रश्नावली 11-19

प्रस्तावना

मैं गर्व और संकल्प के साथ मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार की शुरुआत करते हुए हरियाणा के ग्रामीण विकास के नए युग का स्वागत करता हूँ। हमारे गाँव देश की नींव हैं, और उनकी उन्नति ही प्रदेश के समृद्ध, समावेशी एवं आत्मनिर्भर भविष्य की आधारशिला है।

यह पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करेगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे जैसे सामाजिक-आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी। इसके माध्यम से हम ग्रामीण समुदायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रेरणा है। यह हमारे उस विश्वास को दर्शाता है कि जनभागीदारी, पारदर्शिता और स्थानीय नेतृत्व से गाँवों का सशक्तिकरण संभव है। मेरी सभी ग्राम पंचायतों से अपील है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ, विकास के नए मानदंड स्थापित करें, और हरियाणा को ग्रामीण विकास की मिसाल बनाने में सहयोग दें।

आइए, मिलकर हरियाणा के हर गाँव को समृद्धि और सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक बनाएँ।

शुभकामनाओं सहित,

नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार

प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के विकास एवं पंचायत मंत्री के रूप में, मैं मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार की घोषणा करते हुए हर्षित हूँ। यह पुरस्कार हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि ग्रामीण समृद्धि और सशक्त पंचायती राज संस्थाएँ ही हरियाणा के विकास की धुरी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, यह पहल गाँवों को समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।

ग्रामीण उत्थान का अर्थ केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है अपितु समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पंख देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करना है। यह पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित करेगा जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, जल संरक्षण और महिला नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में अभिनव प्रयासों से समुदाय को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार स्थानीय नेतृत्व की शक्ति को रेखांकित करता है। हमारा उद्देश्य है कि पंचायतें न केवल योजनाओं को क्रियान्वित करें, बल्कि जनभागीदारी के साथ टिकाऊ समाधानों की मिसाल बनें। मैं सभी ग्राम प्रधानों, पंचायत सदस्यों और ग्रामवासियों का आह्वान करता हूँ कि वे इस पुरस्कार के माध्यम से अपने गाँव की उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करें और अन्य गाँवों के लिए प्रेरणा बनें।

आइए, हर गाँव को समृद्धि, स्वावलंबन और सामुदायिक सहयोग की गाथा लिखने में सहभागी बनें।

शुभकामनाओं सहित,

कृष्ण लाल पवार
विकास एवं पंचायत मंत्री
हरियाणा सरकार

प्रस्तावना

हरियाणा सरकार के आयुक्त एवं सचिव के रूप में, मुझे मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह पहल ग्रामीण विकास के प्रति हमारी प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत दक्षता के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विकास एवं पंचायत मंत्री के मार्गदर्शन में यह पुरस्कार ग्रामीण प्रशासन को नई गति प्रदान करेगा।

यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन उनकी कार्यप्रणाली के वस्तुनिष्ठ मानकों—जैसे योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, धन का प्रभावी उपयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकी का समावेश और सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों में सुधार—के आधार पर करेगा। इसके माध्यम से हम न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश में सफल मॉडल्स को अपनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को भी बढ़ावा देंगे।

प्रशासनिक सुधार और नवाचार इस पुरस्कार का आधार हैं। हमने पंचायतों को तकनीकी प्रशिक्षण, डेटा-आधारित नीति निर्माण और निरंतर मूल्यांकन जैसे साधनों से सुसज्जित किया है, ताकि वे जनभागीदारी के साथ टिकाऊ विकास का नेतृत्व कर सकें। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार एक आह्वान है कि हम सभी मिलकर ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करें जो पारदर्शी, कुशल और समावेशी हो।

आइए, हरियाणा के हर गाँव को प्रशासनिक उत्कृष्टता और जन-केंद्रित विकास की मिसाल बनाएँ।

सादर,

अमित कुमार अग्रवाल
आयुक्त एवं सचिव,
विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा सरकार

परिचय

संविधान के 73वें संशोधन ने औपचारिक रूप से राज्य-स्तर के अंतर्गत सरकार की तीसरी इकाई को मान्यता दी, जिससे स्थानीय स्व-शासन या पंचायती राज की कानूनी स्थिति स्थापित हुई। तब से, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर विकसित हुई है। इसी प्रकार, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 ने तीन-स्तरीय स्थानीय स्व-सरकारों—जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों—के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

भारत उच्च आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर है, और इस विकास को बनाए रखने के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRIs) का योगदान आवश्यक है। PRIs को ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने, मानव विकास सूचकांक (HDI) को बढ़ाने और पिछड़े क्षेत्रों को ऊपर उठाने के लिए कार्य करना होगा ताकि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके।

स्थानीय स्तर पर सतत और समान विकास प्राप्त करने के लिए, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर एक रैंकिंग और प्रोत्साहन योजना अपनाने का प्रस्ताव है। यह योजना पंचायतों के प्रदर्शन को मापने और उनके सतत सुधार की निगरानी करने में सहायक होगी। पंचायत प्रदर्शन रैंकिंग चार मूलभूत पहलुओं पर आधारित होगी:

- विभिन्न योजनाओं का समावेश
- तीन स्तरों के बीच सहयोग
- पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा
- सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करना

इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक पंचायत की ताकत को पहचानना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिन्हें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य उनके कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए सक्षम बनाना और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। जो पंचायतें अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निभाएंगी, उन्हें निम्नलिखित रूप से मान्यता दी जाएगी:

a) PRI प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

b)पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत में समान विकास को बढ़ावा दे सके।

हरियाणा राज्य में लगभग 6225 ग्राम पंचायतें (GPs) हैं। प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना (Incentivization Scheme) के अंतर्गत, सभी ग्राम पंचायतों को डेल्टा रैंकिंग पद्धति (Delta Ranking Method) के माध्यम से रैंक किया जाएगा और उच्चतम स्कोर प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पंचायतों का मूल्यांकन किया जाएगा।

उद्देश्य

इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना है। चूंकि ये संस्थाएं कई चुनौतियों का सामना करती हैं, रैंकिंग तंत्र से इन चुनौतियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी ताकि आवश्यक हस्तक्षेप किए जा सकें। इस रैंकिंग में कम स्कोर प्राप्त करने वाली संस्थाओं को निर्धारित समय में अपने स्कोर सुधारने की चुनौती स्वीकार करनी होगी।

पंचायती राज संस्थानों (PRIs) का मूल्यांकन तीन व्यापक वर्गों में किया जाएगा:

(i) सामाजिक उत्तरदायित्व,
(ii) आर्थिक मापदंड, और
(iii) शासन मानदंड

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि PRIs वास्तविक स्थानीय स्व-सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

लक्ष्य

रैंकिंग तंत्र का उद्देश्य है:

- ग्राम पंचायतों को प्रेरित करना।
- प्रगति मापने और सभी पंचायतों को रैंक करके प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत की ताकतों की पहचान करना।
- प्रत्येक स्तर पर विकास को केंद्र फोकस बनाना।
- प्रत्येक स्तर के कार्यों का समग्र दृश्य प्राप्त करना, जिसमें SDGs (सतत विकास लक्ष्य) भी शामिल हैं।
- कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करना।

रैंकिंग तंत्र के अंतर्गत अनुभाग

ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन 2 श्रेणियों के तहत किया जाएगा, अर्थात् श्रेणी 1 - उन ग्राम पंचायतों जिनकी PPP (परिवार पहचान पत्र) 5000 से अधिक है और श्रेणी 2 - उन ग्राम पंचायतों जिनकी PPP जनसंख्या 5000 से कम है, जो निम्नलिखित अनुभागों को पूरा करेंगी:

इन अनुभागों में विभिन्न संकेतक शामिल होंगे, जो चल रही योजनाओं से प्राप्त किए गए हैं और इन संकेतकों को नियमित रूप से एक डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, ऑनलाइन प्रणाली प्रत्येक संकेतक के लिए एक स्कोर प्रदान करेगी।

ग्राम पंचायत

सामाजिक उत्तरदायित्व | **आर्थिक मापदंड** | **शासन पैरामीटर**

क्र. सं.	पैरामीटर	वेटेज
1	ग्राम पंचायतों द्वारा निभाई जाने वाली सामाजिक जिम्मेदारी	50
2	लोगों के आर्थिक विकास के लिए ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रयास	25
3	ग्राम पंचायतों का शासन	25
	कुल	100

तीनों अनुभागों को आगे उप-अनुभागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

सामाजिक रूप से जिम्मेदार पंचायत

- स्वच्छ (स्वच्छता एवं सफ़ाई)
- जल संरक्षक
- पराली मुक्त
- नशा मुक्त
- सौर ऊर्जा युक्त

आर्थिक रूप से विकसित पंचायत

- आय वर्धन (स्वयं की आय का स्रोत बढ़ाना)
- आजीविका वर्धन (आजीविका के अवसरों में सुधार)

सुशासन पंचायत

- पंचायत का कामकाज
- डिजिटलीकरण

प्रत्येक उप-खंड के लिए ग्राम पंचायतों हेतु प्रश्नावली संलग्न की गई है।

दृष्टिकोण और रणनीति

विभाग इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित रणनीति अपनाएगा:

1. संस्थागत व्यवस्था

- खंड स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की अध्यक्षता में एक खंड स्तरीय मूल्यांकन समिति (बीएलएसी) गठित की जाएगी, जो उस खंड में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) का दोनों श्रेणियों अर्थात श्रेणी 1 - 5000 से अधिक पीपीपी आबादी वाली ग्राम पंचायतें और श्रेणी 2 - 5000 से कम पीपीपी आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए मूल्यांकन, जांच और रैंकिंग करेगी। बीएलएसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी संबंधित ग्राम पंचायतें सभी विषयों के संबंध में ऑनलाइन प्रश्नावली भरें। संबंधित प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के अंक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पूर्व-निर्धारित अंकन योजना के अनुसार स्वतः उत्पन्न किए जाएंगे। सभी जीपी को प्रत्येक विषय के तहत प्रश्नावली के लिए प्राप्त अंकों के अनुसार स्वचालित रूप से रैंक किया जाएगा। एक फील्ड सत्यापन टीम शीर्ष स्कोरिंग ग्राम पंचायत का दौरा करेगी और दोनों श्रेणियों के लिए दस्तावेजों, क्षेत्र की स्थिति आदि के सत्यापन के आधार पर अंतिम अंक देगी। दोनों श्रेणियों के लिए शीर्ष स्कोरिंग ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर पुरस्कार के लिए योग्य होगी।

- जिला स्तर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति (डीएलएसी) गठित की जाएगी, जो पीपीपी जनसंख्या की दोनों श्रेणियों के तहत प्रत्येक ब्लॉक की शीर्ष रैंक वाली ग्राम पंचायत का मूल्यांकन और जांच करेगी। एक फील्ड सत्यापन दल प्रत्येक ब्लॉक की शीर्ष स्कोरिंग ग्राम पंचायत का दौरा करेगा और दोनों श्रेणियों के लिए दस्तावेजों, फील्ड स्थिति आदि के सत्यापन के आधार पर अंतिम अंक देगा। दोनों श्रेणियों के लिए शीर्ष स्कोरिंग ग्राम पंचायत जिला स्तर पर पुरस्कार के लिए योग्य होगी।

- राज्य स्तर पर महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एसएलएसी) गठित की जाएगी, जो दोनों श्रेणियों के लिए प्रत्येक जिले की शीर्ष रैंक वाली ग्राम पंचायत का मूल्यांकन और जांच करेगी। एक फील्ड सत्यापन दल प्रत्येक जिले की इन शीर्ष स्कोरिंग ग्राम पंचायतों का दौरा करेगा और दोनों श्रेणियों के लिए दस्तावेजों, फील्ड स्थिति आदि के सत्यापन के आधार पर अंतिम अंक देगा। दोनों श्रेणियों के लिए शीर्ष स्कोरिंग ग्राम पंचायत राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए योग्य होगी।

2. संकेतकों और प्रश्नावली की संरचना

- विभिन्न उप-धाराओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए संकेतक (प्रश्नावली) तैयार किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संकेतक सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हों।

3. इस कार्यक्रम के लिए धनराशि

विभाग राज्य बजट या अन्य स्रोतों से इस कार्यक्रम के वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करेगा। वित्तपोषण की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए होगी:

- **पोर्टल का डिजाइन और विकास:** मासिक आधार पर डेटा एकत्र करने के साथ-साथ प्रक्रिया की वास्तविक समय निगरानी में सहायता के लिए एक समर्पित पोर्टल की आवश्यकता होगी।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र:** इस कार्यक्रम के लिए सरपंचों, पंचायतों के अन्य सदस्यों, खंड विकास पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) और जिला परिषदों के सीईओ सहित हितधारकों के लिए समर्पित जागरूकता और प्रशिक्षण सत्रों की आवश्यकता होगी।
- **तृतीय पक्ष सत्यापन:** एक प्रतिष्ठित संगठन की नियुक्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है जो तीसरे पक्ष के सत्यापन के संचालन में विभाग की सहायता कर सके।

4. जागरूकता और प्रशिक्षण

जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक हितधारक के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक समर्पित अभियान की आवश्यकता होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटरों, सरपंचों, बीडीपीओ और डीडीपीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला परिषदों के सीईओ के लिए एक अलग प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने जिलों में प्रत्येक संकेतक की प्रगति की निगरानी कर सकें।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक पंचायत कार्यालय में होर्डिंग और बैनर लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में पता चले। यह जागरूकता कार्यक्रम लोगों को इस पहल में ग्राम पंचायतों की सहायता करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

5. डेटा कैप्चरिंग प्रक्रिया

प्रत्येक संस्थान को एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो आवश्यक डेटा बिंदुओं को इकट्ठा करने में विभिन्न समितियों, विभागों और अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा। नोडल अधिकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा जमा करने से पहले संस्थान के प्रमुख से डेटा की जांच करवाएगा।

6. रीयल-टाइम निगरानी

नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया सत्यापित डेटा उसी पोर्टल पर समीक्षा और निगरानी के लिए उपलब्ध होगा। प्रत्येक संकेतक पर प्रत्येक संस्थान की प्रगति ऑनलाइन देखी जाएगी।

7. तृतीय पक्ष सत्यापन

करनाल के नीलोखेड़ी में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान (एचआईआरडी) तृतीय पक्ष संगठन होगा, जिसे प्रत्येक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन करने का काम सौंपा जाएगा। एचआईआरडी के संसाधन व्यक्ति शॉर्टलिस्ट की गई ग्राम पंचायतों का फील्ड दौरा करेंगे और उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का मिलान करेंगे।

ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना

ग्राम पंचायतों को 2 श्रेणियों के तहत पुरस्कृत किया जाएगा।

श्रेणी 1 - 5000 से अधिक पीपीपी आबादी वाली ग्राम पंचायतें

श्रेणी 2 - 5000 से कम पीपीपी आबादी वाली ग्राम पंचायतें

राज्य स्तर, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक श्रेणी के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है:

श्रेणी 1 – 5000 से अधिक पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें

क्र.सं.	स्तर	मात्रा
	राज्य स्तर पर	
1.	शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत	रु. 51 लाख
2.	प्रथम रनर अप ग्राम पंचायत	रु. 31 लाख
3.	द्वितीय रनर अप ग्राम पंचायत	रु. 21 लाख
	जिला स्तर पर	
1.	शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत	रु. 31 लाख
2.	प्रथम रनर अप ग्राम पंचायत	रु. 21 लाख
	ब्लॉक स्तर पर	
1.	शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत	रु. 11 लाख

श्रेणी 2 – 5000 से कम पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें

क्र.सं.	स्तर	मात्रा
	राज्य स्तर पर	
1.	शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत	रु. 31 लाख
2.	प्रथम रनर अप ग्राम पंचायत	रु. 21 लाख
3.	द्वितीय रनर अप ग्राम पंचायत	रु. 11 लाख
	जिला स्तर पर	
1.	शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत	रु. 21 लाख
2.	प्रथम रनर अप ग्राम पंचायत	रु. 11 लाख
	ब्लॉक स्तर पर	
1.	शीर्ष प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत	रु. 05 लाख

परिणाम

- विजेता पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा तथा उन्हें पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझा किया जाएगा।

- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उन्हें कमजोर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों की सहायता करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

- सर्वोत्तम प्रथाओं को हरियाणा राज्य में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा उनका वीडियो दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

ग्राम पंचायत प्रश्नावली

1. सामाजिक रूप से जिम्मेदार पंचायत (50 अंक)

स्वच्छ गांव (10 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	क्या ग्राम पंचायत के पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था है और सूखे और गीले कचरे को अलग करने की सुविधा है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2
2.	क्या ग्राम पंचायत के पास लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2
3.	क्या ग्राम पंचायत में नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे (प्लास्टिक, कांच, धातु, आदि) का वैज्ञानिक निपटान / पुनर्प्राप्ति किया जाता है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2
4.	क्या ग्राम पंचायत की सड़कें और अन्य क्षेत्र साफ-सुथरे हैं?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2
5.	कितने प्रतिशत घरों में ट्विन पिट/ सोक पिट हैं?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• 50% से अधिक घरों के लिए 2 अंक • 50% से कम घरों के लिए 0 अंक	2

(ii) जल संरक्षक (10 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	क्या ग्राम पंचायत में सभी सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन संरचना है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2
2.	कितने प्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन (एफएचटीसी) है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• 100% के लिए 2 अंक • 100% से कम के लिए 0 अंक	2
3.	क्या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) ग्राम पंचायत में कार्यात्मक है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2
4.	ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सार्वजनिक भवनों में जलापूर्ति की सुविधा है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• 100% के लिए 2 अंक • 100% से कम के लिए 0 अंक	2
5.	क्या ग्राम पंचायत में सभी तालाबों या जल निकायों से वार्षिक आधार पर गाद/कीचड़ निकाला जाता है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• हाँ के लिए 2 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2

(iii) पराली मुक्त (10 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	क्या ग्राम स्तरीय समिति गठित है तथा उनके द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं?	बैठक का विवरण/बैठक के चर्चा बिंदु	• त्रैमासिक बैठकों के लिए 2 अंक • अर्धवार्षिक बैठकों के लिए 1 अंक • कोई बैठक नहीं होने पर 0 अंक	2
2.	क्या धान की कटाई के बाद ग्राम पंचायत को लाल, पीले या हरे क्षेत्र में घोषित किया गया है?	कृषि विभाग	• हरे क्षेत्र के मामले में 5 अंक • पीले क्षेत्र के मामले में 2 अंक • लाल क्षेत्र के मामले में 0 अंक	5
3.	गांव के ग्राहक भर्ती केंद्र के माध्यम से पराली प्रबंधन उपकरणों की उपलब्धता और पहुंच	ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण	• सभी किसानों के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध होने के साथ केंद्र के पूरी तरह से चालू होने के लिए 3 अंक • केंद्र के पूरी तरह से चालू होने या सभी किसानों के लिए पर्याप्त उपकरण उपलब्ध होने के लिए 2 अंक • निष्क्रिय या अपर्याप्त रूप से सुसज्जित केंद्र के लिए 0 अंक	3

(iv) नशा मुक्त (15 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	नशीली दवाओं के उपयोग की रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या	**पहली बैठक में:** 2/3 महिला ग्राम सभा सदस्यों से प्रमाणीकरण। **यदि नहीं, तो** **दूसरी बैठक में:** ग्राम सभा में 50% महिलाओं द्वारा प्रमाणीकरण। **यदि नहीं, तो** **तीसरी बैठक में:** ग्राम सभा में 30% महिलाओं द्वारा प्रमाणीकरण।	• 0 मामलों के लिए 5 अंक • किसी भी दर्ज मामले के लिए 0 अंक	5
2.	हरियाणा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स, 1985 के तहत नशीली दवाओं के उपयोग के मामले में दर्ज मामलों की संख्या	सेवा विभाग और स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड	• 0 मामलों के लिए 5 अंक • किसी भी दर्ज मामले के लिए 0 अंक	5
3.	नशा मुक्ति केन्द्रों पर भेजे गए लोगों की संख्या	सेवा विभाग	• यदि दर्ज मामलों में से 100% नशा मुक्ति केन्द्र पर भेजे गए हैं तो 5 अंक • यदि दर्ज मामलों में से 70% नशा मुक्ति केन्द्र पर भेजे गए हैं तो 3 अंक • यदि दर्ज मामलों में से 70% से कम नशा मुक्ति केन्द्र पर भेजे गए हैं तो 0 अंक	5

(v) सौर ऊर्जा युक्त (5 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	ग्राम पंचायत में सौर पैनल स्थापित छतों का प्रतिशत	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• 25% से 50% सोलर रूफटॉप घरों के लिए 3 अंक • 10% से 25% सोलर रूफटॉप घरों के लिए 2 अंक • 1% से 10% सोलर रूफटॉप घरों के लिए 1 अंक • 0 अंक कोई सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित नहीं है	3
2	छत पर सौर पैनल लगाने वाले अंत्योदय परिवार का प्रतिशत?	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• छत पर सौर पैनल लगाने वाले 10% से अधिक अंत्योदय परिवार के लिए 2 अंक • छत पर सौर पैनल लगाने वाले 5% से 10% अंत्योदय परिवार के लिए 1 अंक • अंत्योदय परिवार द्वारा स्थापित 5% से कम सौर छत पैनल के लिए 0 अंक	2

2) आर्थिक रूप से विकसित पंचायत (25 अंक)

(i) आय वर्धन (जीपी की स्वयं की आय के स्रोत में वृद्धि) (12.50 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व के स्वयं के स्रोत (OSR) में वृद्धि?	ग्राम पंचायत की कैश बुक के अनुसार	• 50% से अधिक वृद्धि के लिए 5 अंक • 41% से 50% के लिए 4 अंक • 31% से 40% के लिए 3 अंक • 21% से 30% के लिए 2 अंक • 1% से 20% के लिए 1 अंक • पिछले वर्ष की तुलना में OSR में कोई वृद्धि नहीं होने पर 0 अंक	5
2	क्या ग्राम पंचायत के सभी घरों से चूल्हा कर (वित्त वर्ष 2024-25) एकत्र किया गया और पंचायत खाते में जमा किया गया?	ग्राम पंचायत की कैश बुक के अनुसार	• 100% एकत्र और जमा करने के लिए 5 अंक • 75% से अधिक एकत्र और जमा करने के लिए 3 अंक • 50% से अधिक एकत्र और जमा करने के लिए 2 अंक • 50% से कम एकत्र और जमा करने के लिए 0 अंक	5

3.	क्या ग्राम पंचायत ने भूमि या तालाब के पट्टे या पेड़ों की बिक्री के अलावा कोई आय अर्जित की है?	ग्राम पंचायत की कैश बुक के अनुसार	• हाँ के लिए 2.5 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	2.5

(ii) आजीविका वर्धन (आजीविका के अवसरों में सुधार) (12.50 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1	कुल SHG सदस्यों में से बैंक ऋण प्राप्त करने वाले SHG सदस्यों का प्रतिशत?	HSRLM	• 50% से अधिक के लिए 3.5 अंक • 50% से कम के लिए 0 अंक	3.5
2	पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सत्यापित कारीगरों की संख्या?	MSME	• 100% कारीगरों के सत्यापन के लिए 3.0 अंक • 100% से कम के लिए 0 अंक	3
3	डीडीयू-जीकेवाई के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त पात्र ग्रामीण युवाओं का प्रतिशत?	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• 100% के लिए 3.0 अंक • 100% से कम के लिए 0 अंक	3
4	डीडीयू-जीकेवाई के तहत पीआईए द्वारा नियोजित पात्र ग्रामीण युवाओं का प्रतिशत?	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• 50% से अधिक के लिए 3.0 अंक • 50% से कम के लिए 0 अंक	3

3) सुशासन पंचायत (25 अंक)

(i) पंचायत कार्यप्रणाली (15 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	एक पेड़ मां के नाम के तहत अपने घरों में पेड़ लगाने वाले घरों की संख्या	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• 80% से 100% घर – 5 अंक • 60% से 79% - 4 अंक • 40% से 59% - 3 अंक • 20% से 39% - 2 अंक • 20% से कम- 0 अंक	5
2	क्या सभी योजनाओं के रिकॉर्ड अद्यतन हैं?	योजनाओं की अद्यतन रोकड़ बही/खाता बही	• हां के लिए 5 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	5
3.	क्या ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड स्थापित किया है, जिसमें ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों (अनुदान की प्राप्ति, योजना, व्यय) का विवरण दर्शाया गया हो?	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• हाँ के लिए 5 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	5

(ii) डिज़िटाइज़ेशन (10 अंक)

#	प्रश्न	प्रमाण	अंक	अधिकतम अंक
1.	क्या केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टलों में प्रविष्टि सीपीएलओ द्वारा की जाती है और मासिक आधार पर अपडेट की जाती है?	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• हाँ के लिए 5 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	5
2	क्या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छह नागरिक केंद्रित सेवाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाती हैं?	ग्राम पंचायत से प्रमाणन	• हाँ के लिए 5 अंक • नहीं के लिए 0 अंक	5